

761702845

(32)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/महंगाई राहत/उत्तराखण्ड/2018-2019/ 2449

दिनांक-02.11.18

सेवा में,

	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात,	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय,	शिलोंग	793001
3.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आसाम,	गौहाटी	781029
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड,	रांची	834002
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार,	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल,	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्यप्रदेश,	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु,	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र,	मुंबई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र,	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक,	बेंगलुरु	560001
12.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उड़ीशा,	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब,	चंडीगढ़	160017
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा,	चंडीगढ़	160047
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश,	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान,	जयपुर	302005
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश,	इलाहाबाद	211001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल,	कोलकता	700001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर,	श्रीनगर	190009
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर,	इम्फाल	795001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा,	अगरतला	799006
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड,	कोहिमा	797001
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़,	रायपुर	492111
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिजोरम,	आईजोल	796001
25.	वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम,	गंगटोक	737102
26.	वेतन एवं लेखा अधिकारी-V, पेंशन, तीस हजारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	-	110124
27.	निदेशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार,	गोवा,	पणजी	403101
28.	निदेशक, लेखा एवं खजाना, (सघ क्षेत्र)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
29.	निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन	अरुणाचल प्रदेश,	नाहरलागन	791110
30.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आंध्रप्रदेश,	हैदराबाद	500004
31.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

PM-OG-TS

O/c Pri. Accountant General (A&E)
AP & Telangana, Hyderabad



5 3 0 3 8 0

530380

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

“विशेष मुद्रा प्राधिकार”

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/2018-19

दिनांक-

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कार्यालय

विषय- राज्य सरकार के कार्मिको, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिको, जिन्हे सातवें पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है को अनुमन्य महंगाई भत्ते की दरों का पुनर्निर्धारण ।

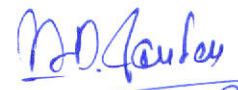
संदर्भ :- 248(1)/XXVII(7)02/2016, दिनांक:19/09/2018

महोदय,

वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनदेश की प्रतियाँ संग्रह कर प्रेषित की जा रही हैं । आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएं।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय



02.11.2018

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त(वि०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7

वेदरावून, दिनांक 19 सितम्बर, 2018

विषय:

राज्य सरकार के कार्मिकों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों, जिन्हें सातवें पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है को अनुमन्य मंहगाई भत्ते की दरों का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-145/XXVII(7)/02/2016 दिनांक 09 मई, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, राजकीय विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के ऐसे कार्मिकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जुलाई, 2018 से उन्हें अनुमन्य मूल वेतन के 7% की विद्यमान दर से बढ़ाकर 9% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त कर्मियों को पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जुलाई, 2018 से 30 सितम्बर, 2018 तक (सेवानिवृत्त एवं 06 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को नगद भुगतान) की बड़ी हुई धनराशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी तथा 01 अक्टूबर, 2018 से नकद भुगतान किया जायेगा, परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के अवशेष (एरियर) देयक में से 10% पेंशन अंशदान तथा उत्तनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जायेगी।

3. मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित किये गये हैं, यथावत लागू रहेंगे।

4. उक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उक्तवत् स्वीकृत मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

कमरा-2

ARJ Pension

M.M.S.

25.10.2018

Mr
25.11.18

DR-98
Dr-25.10.18
Sh Megi

संख्या-२५४ (1)/XXVII(7)02/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
4. आयुक्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महानिबन्धक, मा10 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर/देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
11. निदेशक, आडिट, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Ace

(अरुणेंद्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।